



Neutral Citation No. - 2026:AHC:62328

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 10182 वर्ष 2026

अर्जुन उर्फ धीरू

.....आवेदक

बनाम

यूपी राज्य

..... प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: पल्लवी मिश्रा, विवेक प्रकाश मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. अधिवक्ता श्री यादवेंद्र कृष्ण और राम कैलाश यादव ने प्रथम शिकायतकर्ता की ओर से आज न्यायालय में वकालतनामा दाखिल किया है। इसे रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक प्रकाश मिश्रा, प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री यादवेंद्र कृष्ण की ओर से अधिवक्ता श्री सूर्य भान सिंह, राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री डी.पी.एस. चौहान की दलीलें सुनी गईं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

3. यह जमानत याचिका मुकदमा अपराध संख्या 263/2025, धारा 191(2), 191(3), 190, 103(1), 352, 351(3) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन कैंट, जिला प्रयागराज के तहत मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

4. अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक और पांच अन्य सह-आरोपियों ने कथित तौर पर मृतक पर गोली चलाई और उनकी हत्या कर दी, उनके बीच कुछ हाथापाई होने के बाद।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि गगन के बयान को सरसरी तौर पर देखने से, जो घटना के समय कथित तौर पर मौजूद था, यह स्पष्ट होता है कि मृतक और अन्य सभी आरोपियों के बीच तीखी बहस हुई थी और किसी ने मृतक पर गोली चलाई थी, इसलिए किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सरसरी तौर पर देखने से यह स्पष्ट है कि मृतक को एक गोली लगी थी और सह-आरोपी हर्ष कुमार पांडे के बताने पर हथियार भी बरामद कर लिया गया है, इसलिए आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक सबूत नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19.12.2025 से जेल में है। उसने आगे कहा कि पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

6. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. और प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को ध्यान में रखते हुए, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038)** मामले में दिए गए फैसले के आदेश को ध्यान में रखते हुए, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **अर्जुन उर्फ धीरू** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदारों को समान राशि में प्रस्तुत करने पर, जमानत पर रिहा किया जाए। निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - ii. आवेदक बिना किसी स्थगन का अनुरोध किए, मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
 - iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।
9. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।
10. बांड स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किए जाएंगे।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से इस आदेश की डाउनलोड की गई प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसकी संबंधित अधिवक्ता द्वारा पुष्टि की गई हो और यह वचन दिया गया हो कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

13. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति आवेदक को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिज़न पोर्टल के द्वारा भेजे, जो सर्वोच्च न्यायालय के नीतिगत रणनीति संबंधी मामले में जमानत देने के संबंध में दिए गए आदेश के अनुपालन में हो। यह आदेश स्वतः संज्ञान लेते हुए रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 पर दिनांक 31.01.2023 को दिए गए निर्णय और (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित मामले के अनुसार भेजा जाना चाहिए।

25 मार्च, 2026

एस.एस.

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।